न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/26/2016	27-07-2016	04-04-2018

1–नेमीचंद पुत्र स्व0 श्री मनोहरलाल उम्र 70 साल जाति साहू निवासी लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0

अपीलान्टस

बनाम

1–चमेली पुत्री महोहरलाल पत्नि वेद प्रकाश उम्र करीब 69 साल निवासी बी 62 मयूर विहार, दिल्ली

2– श्रीमती छोटी पुत्री मनोहरलाल पत्नि रतिराम उग्र करीब 68 साल निवासी बीवा तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह

3– श्रीमती शीला पुत्री मनोहरलाल पत्नि तेज प्रकाश उम्र करीब 60 साल निवासी 1923–ए, गली नम्बर 9 राजगढ विस्तार, दिल्ली 31

4– श्रीमान तहसीलदार साहब, लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0

रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ का निर्णय दिनांक 08.10.2001 नामान्तकरण संख्या 1801 ग्राम लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री जगदीश चन्द सतीजा
02–श्री दीपक कुमार सिद्व

–वकील अपीलान्टस

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR
कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
अलवर (राज0)
ALWAR (RAJ.)

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 08.10.2001 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1801 ग्राम लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर बेजा तौर पर दर्ज करने से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मृतक यशोदा देवी अपीलान्ट की माता थी जिनका देहान्त हो चुका है। रेस्पॉडेन्ट न0 1 लगायत 3 की ओर से नोटिस दिनांक 27.05.2016 का दिनांक 01.06.2016 को प्राप्त हुआ जिससे यह जानकारी मिली की मृतक यशोदा का विरासत का इन्तकाल अपीलान्ट व रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज व मंजूर किया गया है। जिस पर अपीलान्ट व उनके परिवारजन ने रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 से सर्म्पक किया तो उन्होने अपीलान्ट को आश्वस्त किया कि उनकी माता का विरासत का इन्काल उन्होने अपने नाम करा लिया है। अपीलान्ट व रेस्पॉडेन्टस आपस में भाई–बहन है दिनांक 10.07.2016 को यह जानकारी हुई कि यशोदा देवी की विरासत का इन्तकाल रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने साजबाज होकर दिनांक 08.10.2001 को दर्ज करवाकर उसी दिन फैसल करवा लिया गया अपीलान्ट के पास आय का कोई जरिया नही है। इसलिए रूपयो का इन्तजाम करके कानूनी सलाह ली गई इसलिए दिनांक 01.06.2016 से 10.07.2016 तक का समय राजीनामा के आधार पर दिनांक 11.07.2016 से आज तक का समय कानूनी सलाह मशवरा में व्यय होने के कारण जानकारी की तारिख से अपील अन्दर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मियाद प्रस्तुत है। आलोच्य आदेश क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण निरस्त होने योग्य है। क्योकी इन्तकाल संख्या 1801 को देखने से यह स्पष्ट है कि मृतक यशोदा देवी की विरासत के सम्बन्ध में पटवारी हलका द्वारा दिनांक 08.10.2001 को दर्ज किया गया ओर उसी दिन मिलान कर आदेश पारित कर दिया गया जिससे यह स्पष्ट है कि एक ही दिन में समस्त कार्यवाही करके विधि व प्रक्रिया के विरूद्व आलोच्य आदेश पारित किया है। ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ को मृतक यशोदा देवी की विरासत का फैसला पटवारी हलका की रिपोर्ट से 30 दिवस के अन्दर करना चाहिए था इसके पश्चात ही रेस्पॉडेन्ट संख्या 4 को क्षेत्राधिकार प्राप्त हो सकता है। आलोच्य आदेश से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 अपीलान्ट की सगी बहने है जिनके सभी सामाजिक दायित्वों का निर्वाह अपीलान्ट करता आ रहा है। जिनके नाते पोते–पोती के विवाह में दान दहेज भात छूछक अपीलान्ट ने दिया है। अपीलान्ट जिस बिरादरी का है उनकी परम्पराओं के अनुसार लडकियों को पैतृक सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नही है। रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 लगयात 3 में कभी विवादित आराजी को काश्त नही किया आलोच्य आदेश के पूर्व कबजे के सम्बन्ध में जांच करनी चाहिए थी किन्तु कोई जांच नही की गई। अपीलान्ट व रेस्पॉडेन्ट पर रीतिरिवाज लागू होते है जिसके मुताबिक लडकी का हिस्सा पैतृक सम्पत्ति में नही होता है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार लडकियों का मृतक पिता की जायदाद में कोई अधिकार नही होता है। अतः तहसीलदार, लक्ष्मणगढ का आदेश 08.10.2001 निरस्त किया जाकर, अपील स्वीकार करने की आज्ञा फरमावें।

वकील रेस्पॉडेन्ट ने बहस के दोरान निवेदन किया की यशोदा देवी का इन्तकाल दिनांक 08.10.2001 के सम्बन्ध में हमे कोई जानकारी नही थी उक्त जानकारी हमे वर्ष 2016 में ही हुई है। हम रेस्पॉडेन्ट द्वारा कानूनी तोर पर नियमानुसार इन्तकाल दर्ज करवाया है। जबकी पूर्व में अपीलान्ट द्वारा पिता की मृत्यु के बाद गलत तोर पर बाला–बाला उक्त आराजी में से 1/2 हिस्सा विरासत के रूप मे अपने नाम दर्ज करवा लिया था जबकि उक्त विरासत दर्ज करते समय भी हम तीन बहने मौजूद थी उक्त इन्तकाल का पता भी हमें वर्ष 2016 में ही चला था। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील नोटिस दिनांक 27.05.2016 के विरूद्ध दिनांक 27.07.2016 को इस न्यायालय में पेश की है जो करीब दो माह विलम्ब से पेश की है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रश्न है तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा पूर्ण रूप से वारिसों की जांच कर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। जिसमें यशोदा के 1/2 हिस्से में से चारो पुत्र–पुत्रियों का बराबर हिस्सा दर्ज किया गया है। अतः तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 08.10.2001 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

OFFICE OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)
ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

200

2